फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री रोशनलाल **विपक्षी :– राज्य**

किस्म मुकदमा – 136 भू रा.अधि. **पत्रावली संख्या : 125/25**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 22.07.2025

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। प्रार्थी एवं राजपेरोकार उपस्थित। प्रार्थी एवं राजपेरोकार की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के पिता की जाति मगना दत्तक पुत्र देवा जाति खाती गलत अंकित होना बताया जिसे दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। तहसीलदार मावली द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पिता मगना दत्तक पुत्र देवा जी की जाति राजस्व रिकार्ड ग्राम विशनपुरा पटवार हल्का लदानी के खाता संख्या 149 में खाती दर्ज है जबकि ग्राम विशनपुरा के अन्य जमाबन्दी खाता संख्या 177, 180, 127, 176, 231 में प्रार्थी के पिता की जाति सुथार दर्ज हैं। उक्त खातों एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी के पिता मगना पुत्र देवा की जाति ग्राम विशनपुरा के खाता संख्या 149 में खाती के बजाय सुथार दुरस्त किये जाने की अनुशंषा की गई। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में मगना उर्फ मगनीराम का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 27.02.2006 की प्रति, मौजा विशनपुरा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 180, 231 की प्रति, स्वयं प्रार्थी व जगन्नाथ पिता मगनीराम के आधार कार्ड की प्रति, स्वयं प्रार्थी के पेन कार्ड की प्रति प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में प्रार्थी के पिता की जाति सुथार होना जाहिर होता है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि तहसीलदार द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि खाती एवं सुथार दोनो एक ही है। प्रार्थी के पिता का नाम मगनीराम है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में मगना अंकित कर दिया गया। अतः राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम एवं जाति जाति गलत अंकित होने से उसे सही किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा विशनपुरा पटवार हल्का लदानी तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 149 पर दर्ज आराजी भूमि में खातेदार मगना दत्तक पुत्र देवा जाति खाती के बजाय मगनीराम दत्तक पुत्र देवा जाति सुथार संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
हायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:58:49 IST
Reason: SelfAttested